(c) the steps Government propose to take against such tained IAS officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURACE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) During the last three years, in seven cases the CBI has filed chargesheets in the Courts of Law. A statement showing the details is enclosed (*see* below)

(c) Action by the Government against the officers will depend on the Outcome of the disciplinary proceedings/criminal trials.

Statement

Sl. No.	RC No.	Cadre	Number of Officers	Allegation in brief
1.	RC-20(A)/96-PAT	Bihar	Ten	Accused Dr. B.N. Sharma working as DAHO, Chaibasa conspired with other officers of AHD and Treasury & misappropriated a sum of Rs. 37,70,39,743/- from State Exchequer on the basis of fake bills showing supply of feed, veterinary medicines and instruments during 1994-95.
2.	RC-64(A)/96-PAT	Bihar	Four	It is alleged that Dr. Vinay Kumar, DAHO, Deoghar withdraw Rs. 95,08,140.10 from the treasury on the basis of fake allotments made available to him by Dr. S.M. Ram, the then RDAH, Dumka and Dr. S.B. Sinha by passing fake supply bills of medicine/fodder etc. during the period 1992-93.
3.	RC-1(A)96-ACU-IX	Himachal Pradesh	One	Accused offered bride to Shri B.M. Kumar, Insp. CBI for obtaining favour for his concubine Ms. Shashi Prabha Sharma, Manager, Punjab National Bank, involved in RC-1(A)95-ACU-II.
4.	RC-10(A)96-ACB, Chennai	Tamil Nadu	Three	Accused persons committed criminal misconduct in the construction of 70 cremation sheds under Jawahar Rojgar Yojna and caused illegal pecuniary advantage to themselves and corresponding loss to the Govt. to the tune of Rs. 21,00,000/-.
5.	RC-2(S)96-SCB-I/Delhi	Tripura	One	The accused fraudulently and unauthorisedly issued nomination to the students for getting admission in MBBS and BDS courses.
6.	RC-32(A)96-ACB-LKO.	Uttar Pradesh	One	Ayurved Scam Case.
7.	RC-12(A)96-DLI	AGMU	One	Accused has huge movable and immovable assets to the tune of Rs. 1.92 crores disproportionate to his known sources of income.

मध्य प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नए पदों का सृजन

959. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 261 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 27 अप्रैल, 1992 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा और 14 मई, 1992 तक भारतीय पुलिस सेवा में चयनित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त समयावधि के दौरान दोनों संवर्गों के लिए क्रमशः कितने पद अधिसूचित किए गए थे;

(ग) 1997 के दौरान उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के सेवा के लिए कितने रिक्त पदों को अधिसूचित किया गया था जिनकी चयन प्रक्रिया प्रगति पर है; और

(घ) इस वर्ष इन दोनों सेवाओं में कितने पदों की कटौती की गई है और इस कटौती के फलस्वरूप नई

भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या और 1997 में सृजित नए पदों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) वर्ष 1992 में, मध्य प्रदेश संवर्ग में सिविल सेवा-परीक्षा, 1991 के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु चुने गए व्यक्तियों क संख्या 6 और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में यह संख्या 11 थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में पदोन्नत/चुने गए व्यक्तियों की संख्या 4 और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में भी यह संख्या 4 थी।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में 27.04.92 को अधिसूचित प्राधिकृत पदों की कुल संख्या 398 और भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में 14.5.92 को अधिसूचित प्राधिकृत पदों की कुल संख्या 293 थी। मध्य प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्राधिकृत पदों की कुल संख्या की समीक्षा की गई और यह 16.3.98 को 396 अधिसूचित की गई। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी तक भारतीय पुलिस सेवा-संवर्ग में अधिकारियों के प्राधिकृत पदों की संख्या की समीक्षा किए जाने के बारे में प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में सिविल सेवा परीक्षा 1996 के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अधिसूचित किए गए पदों की संख्या 6 और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में यह संख्या 5 थी। 1997 में पदोन्नति/चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में भरी गई रिक्तियों की संख्या 7 और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में यह संख्या 8 थी।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के संबंध में की गई संवर्ग समीक्षा 16.3.1998 को अधिसूचित की गई। उपर्युक्त संवर्ग समीक्षा में समीक्षा किए जाने से पहले और समीक्षा किए जाने के बाद पाए गए पदों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है **(नीचे देखिए)**। भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के संबंध में की गई पिछली संवर्ग समीक्षा के 14.5.1992 को अधिसूचित किए जाने के बाद अभी तक उपर्युक्त संवर्ग की और कोई समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के मध्य-प्रदेश संवर्ग के वरिष्ट ड्यूटी पदों की संख्या राज्य सरकार से परामर्श करके विवरण-II में दर्शाए गए तरीके से, 27.02.98 से संशोधित कर दी गई है **(नीचे देखिए)**।

1998 में, भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश संवर्ग में सिविल सेवा परीक्षा, 1997 के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अधिसूचित पदों की संख्या 4 है और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में यह संख्या 5 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा-संवर्ग में 1998 में पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित पदों की संख्या 3 है और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में यह संख्या 10 है। भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में भरे जाने के लिए निर्धारित 10 पदों में से 5 पद पहले से ही भर दिए गए हैं।

विवरण-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा-संवर्ग के मध्य प्रदेश संवर्ग में 16.03.1998 को अधिसूचित संवर्ग-समीक्षा में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार, संवर्ग समीक्षा के बाद और संवर्ग-समीक्षा से पूर्व रहे पदों का ब्यौरा

		संवर्ग-समीक्षा से पूर्व	संवर्ग-समीक्षा के पश्चात यथा-अधिसूचित
(1)	वरिष्ठ ड्यूटी पदः—		
	26,000/- रुपये	02	03
	22,400-24,500/- रु०	11	17
	18,400-22,400/- रु०	54	57
	वरिष्ठ वेतनमान	137	138
कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद		204	215
(2)	कुल प्राधिकृत पदों की संख्या	377*	396

31.03.1995 से छुट्टी, प्रशिक्षण और कनिष्ठ पद-रिजर्व पर लगी 10% की कटौती को समाहित करने के पश्चात्।

विवरण-II

मध्य प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा-संवर्ग में, उपर्युक्त संवर्ग में संशोधन से पूर्व रहे वरिष्ठ-ड्यूटी पद और पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद 27-02-1998 की स्थिति के अनुसार रही उक्त पद-संख्या और वेतन-अनुसूची

		संवर्ग-समीक्षा से पूर्व	संवर्ग समीक्षा के पश्चात यथा अधिसूचित
(1)	वरिष्ठ ड्यूटी पदः—		
	24050—/26,000/- रू०	02	02
	22,400-24,500/-रू०	—	10
	18,400—22,400/- रू०	11	25
	16,400-20,000/-रू०	30	38
	वरिष्ठ वेतन-मान	107	75
	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	150	150
2.	कुल प्राधिकृत संख्या	278	278

Corruption cases filed against politicians

960. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of corruption cases filed against politicians by CBI recently have collapsed as the CBI failed to substantiative charges; and

(b) if so, what are the details of such cases and the reasons for the failure of CBI to substantiate charges?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI JANARTHANAN): (a) and (b) In the hawala case, 25 out of 29 political personalities who were chargesheeted have been discharged due to lack of independent corroborative evidence. The Supreme Court, while examining the evidence in respect of 2 chargesheets, held that though one of the diaries was admissible as a book of account under section 34 of the Indian Evidence Act, still there should be independent evidence to corroborate the relevant entries to prove receipt of the respective amounts by the concerned public servants in order to charge them for offences under the Prevention of Corruption Act, 1988. In the absence of such evidence, the 25 political personalities were discharged by the Court.

Probe into bofors payoffs and HDW submarine deal

961. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present status of the probes into the long pending scams like Bofors payoffs and HDW submarine deal; and

(b) the efforts being made to expedite these probes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) After receipt of the second set of documents in connection with RCI(A)/90-ACU IV (Bofors Case) from the Swiss authorities in January, 1997, Letters Rogatory were issued by the Court of the Special Judge, Delhi, to Liechtenstien, Panama, Bahamas, Luxembourg, Sweden and Guernsey (Channel Islands). The Swiss